न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 40/2024 प्रा.प.

उनवान :

1. श्री कृष्णा पिता रतनाजी डांगी उम्र बालिग
2. श्री पेमजी पिता रतनाजी डांगी
3. श्री भेरा पिता रतना जी डांगी
4. श्री मावा पिता भीमजी दादा रतनाजी डांगी
5. श्री वेला पिता भीमजी दादा रतनाजी डांगी
6. सभी निवासीयान निवासी कालीमंगरी, गुडेल तहसील सलूम्बर जिला सलूंम्बर (राज.)
7. श्रीमती गंगा पुत्री भीमजी दादा रतनाजी पत्नी पुंजाजी डांगी निवासी आवरा तहसील कुराबड जिला उदयपुर।

–प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. श्री अमरा पिता काना (किसना) मीणा उम्र बालिग
2. श्री कालु पिता काना (किसना) मीणा उम्र बालिग
3. श्री शंकर पिता मेघा मीणा उम्र बालिग
4. श्रीमती तुलसी पत्नी अमरा मीणा उम्र बालिग
5. श्रीमती तुलसी पत्नी कालु मीणा उम्र बालिग
6. श्रीमती पार्वती पत्नी शंकर मीणा उम्र बालिग
7. श्रीमती लाली पत्नी मेघा मीणा उम्र बालिग

सभी निवासी आकिया बस्ती, गींगला तहसील सलूम्बर जिला सलुम्बर (राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. एवं धारा 212 आर.टी.ए एक्ट

–::निर्णय::–

दिनांकः–23/12/24

उपस्थितिः– श्री गेबीलाल मेहता अधिवक्ता – प्रार्थीगण
श्री प्रभुलाल मीणा – विपक्षी संख्या 1, 2, 3
विपक्षी संख्या 4 से 7– एक पक्षीय दिनांक

प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने वाद बाबत् पांती बंटवाडा, घोषणा खातेदारी हक, इन्द्राज दुरस्ती नक्शा ट्रेस एवं स्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादीगण तथा वाद के प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी स्वामित्व, आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा गींगला, पटवार हल्का गींगला तहसील सलूम्बर मे स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व रेकार्ड के खाता संख्या 340–344 मे वर्णित किता 5 रकबा 0.9300 हैक्टेयर कृषि भूमि मे वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है तथा वाद के प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजीयात मे विपक्षी संख्या 1 से 7 का किसी तरह का कोई हक, हिस्सा नही है। सेटलमेन्ट पूर्व उक्त कृषि भूमि रकबा 4 बीघा 2 बिसवा किस्म मंगरी मौजा गींगला के राजस्व रेकार्ड के संवत् 2034 से 2036 में वादीगण तथा वाद के प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पूर्वजो के खाते दर्ज थी जिसके बजाय मौके अनुसार वर्तमान आराजी नम्बर 5276/1745, 5277/1745, 5278/1822, 5279/1822 तथा आराजी नम्बर 5274/1745 रकबा 0.05 हैक्टेयर बने किन्तु सेटलमेन्ट अधिकारीयो ने गलतती से नक्शे मे आराजी नम्बर 5274/1745 वादीगण तथा वाद के प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के खाते नक्शा ट्रेस मे अंकित करना चाहिये था किन्तु गलती

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

से आराजी नम्बर 5274 / 1745 के बजाय नक्शा ट्रेस मे 5275 / 1745 अंकित कर दिया है जबकि रकबा नक्शा ट्रेस मे सहीदर्ज किया है किन्तु वादीगण तथा वाद के विपक्षी संख्या 1 से 6 के कब्जे की आराजी नम्बर 5274 / 1745 के बजाय विपक्षी संख्या 1 से 7 की आराजी नम्बर 5275 / 1745 अंकित कर दिया है जो कि गलत कर दिया है जिसका विपक्षीगण नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है जिस हेतु आये दिन लडाई–झगडा करते है ओर मरने, मारने पर उतारू हो रहे है इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 मे वर्णित आराजी के स्वरूप मे कोई परिवर्तन नही करे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी तरह की दखलंदाजी न करे, न उक्त कृत्य अपने नौकरो, एजेन्टो करावे ओर ऐसा कुछ कर देते है तो उसे पुनः यथास्थिति स्वरूप बनाये जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्ध पारित फरमाई जावे।

पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी सं. 4 लगायत 7 वादजुद सूचना के गैर हाजिर रहने से विपक्षी संख्या 4 लगायत 4 के खिलाफ आदेशिका दिनांक 14.07.2024 एक पक्षीय कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रभुलाल मीणा ने वकालतनामा एवं जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीगण ने मनगढन्त आधारो पर प्रार्थना पत्र पेश किया है आराजी नम्बर 5274 / 1745 रकबा 0.05 हैक्टेयर जो हमारे खातेदारी आराजी है जिस पर हम कई वर्षो से काबिज होकर काश्त इत्यादी कर रहे है व आराजी नम्बर 5275 / 1745 पर हमारे कई वर्षो से कब्जा चला आ रहा है जिस पर हम काबिज होकर काश्त कर रहे है। जिसे हमने रूपया इत्यादी खर्च कर खेती योग्य उपजाउ जमीन बनाई है। हमारे व वादीगणो के आराजी के बीच मे बाड इत्यादी लगी हुई है जिससे एक दुसरे की कृषि भूमि में दखलन्दांजी करना मुश्किल है व हम हमारी कृषि भूमि पर काबिज है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि विपक्षगण का जवाब स्वीकार फरमाया जावे एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

बहस पर मनन कि जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। विवादित भूमि विपक्षीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के मामले में सम्बन्धित पक्षकार को अपने पक्ष मे प्रथम दृष्टया प्रकरण जो प्रथम दृष्टया टाईटल एवं अधिपत्य पर आधारित हो, प्रमाणित करना होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे प्रमाणित नही पाया जाता है। प्रार्थी ने घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का वाद के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रकरण के मूलवाद मे समूचित साक्ष्य के उपरान्त ही गुणावगुण के आधार पर पक्षकारो के हितो पर निर्णिय किया जावेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे उचित प्रतीत नही होता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दि. एवं धारा 212 आर.टी.ए. एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा का साबित नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 23/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला सलूम्बर